न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म0प्र0

रा.नि. क्रमांक /15

निगरानी 2071-PBR-15

1. केशव प्रसाद आ. देवीप्रसाद
   आयु 78 वर्ष, धंधा–कृषि
   निवासी–आनंद बाग पिपरिया
   तहसील पिपरया जिला होशंगाबाद
2. धनश्याम पुत्र स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
3. पवन कुमार पुत्र स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
4. सावित्री बाई पुत्री स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
5. सविता पुत्री स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
6. कविता पुत्री स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
7. मनोरमा पुत्री स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
8. शिवदत्त पुत्र स्व. मंगल प्रसाद उर्फ सदानंद
   समस्त नि. ग्राम कन्हवार तहसील पिपरया
   जिला होशंगाबाद म0प्र0 -------- निगरानीकर्तागण

रेखा ठाकुर
क्र.1659
सा.ले. /2014
राजस्व आयुक्त, भोपाल

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. श्रीमती कमला बाई पुत्री देवी प्रसाद
   पत्नी भवानी शंकर भार्गव आयु 70 वर्ष
   निवासी– इंदिरा कालोनी हरकूट वेयर हाउस
   के पास हथवास पिपरिया तहसील पिपरिया
   जिला होशंगाबाद म0प्र0 ---------प्रतिउत्तरदातागण

श्री जी. एस. चौहान अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 30-6-15 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
30-6-15

निगरानीकर्ता अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय पिपरिया द्वारा अपील 50/अपील/2012–13 (कमला बाई विरूद्ध केशव प्रसाद एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 12.06.2015 से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

निरन्तर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 207/ –पीबीआर/15 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01.07.2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 12–06–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये यह निष्कर्ष निकालते हुये कि उभयपक्ष कौटुम्बिक सदस्य है, जिसमें प्रथमदृष्टया आवेदक का हित परिलक्षित हो रहा है, अस्तु प्रकरण का गुणदोष के आधार पर निराकरण किया जाना उचित होगा, अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया गया । जबकि अनुविभागीय अधिकारी का विधिक दायित्व था कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये सकारण आदेश पारित करते । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रथमदृष्टया ही निरस्ती योग्य है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–6–2015 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत् आदेश पारित करें । प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	